सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 26, गुरूवार, *शाके* 1945-फरवरी 15, 2024 *Magha 26 Thursday , Saka 1945- February 15 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 06, 2024

जी.एस.आर.161 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम सं. 14) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल,राजस्थान सिविल सेवा (आतंकवाद निरोधक दस्ते में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2011 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (आतंकवाद निरोधक दस्ते में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयनऔर सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 01.01.2017 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची-II का संशोधन.- राजस्थान सिविल सेवा (आतंकवाद निरोधक दस्ते में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2011 से संलग्न अनुसूची- **II** में विद्यमान शर्त 1 और 2 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"1. वेतनमान.-अनुसूची- **I**में उल्लिखित पद पर नियुक्त होने पर अधिकारी/ पदधारी वही वेतन आहरित करेगा/करेगी जो वह नियुक्ति (अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में) से ठीक पूर्व विद्यमान पद के लिए विहित राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल में आहरित कर रहाथा/रही थी। वेतनवृद्धि की अगली तारीख अपरिवर्तित रहेगी।

2. जोखिम भत्ता.-दस्ते में नियुक्त किये गये राजस्थान पुलिस सेवा और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अधिकारी/पदधारीको दस्ते में उनकी सेवावधि के दौरान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन वेतन मैट्रिक्स में के वेतन लेवल में आहरित मूल वेतन के 12% की दर से विशेष जोखिम भत्ता संदत्त किया जायेगा:

परंतु भारत सरकार के या राज्य के किसी भी विभाग से कार्य के लिए अपेक्षित विशेष या तकनीकी अर्हताएं रखने वाले ऐसे किसी अधिकारी को भी जोखिम भत्ता संदत्त किया जायेगा जिसे नियम 8 के परंतुकके अनुसार दस्ते में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।"

[सं. एफ 5(2)डीओपी/ए-।।/2011]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
जय सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, February 06, 2024

G.S.R.161 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and section 20 of the Rajasthan Police Act 2007 (Act No. 14 of 2007), the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of persons in the Anti Terrorist Squad) Rules, 2011, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of persons in the Anti Terrorist Squad)(Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01.01.2017.

2.Amendment of Schedule-II.- In Schedule-II appended to the Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of persons in the Anti Terrorist Squad) Rules, 2011, the existing condition 1and 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"1. **Scale of Pay.-** On appointment to the post mentioned in Schedule-I, the Officer / Official shall draw the same pay, which he / she was drawing immediately before appointment (in the substantive or officiating capacity) in the Pay Level in the Pay Matrix under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017

prescribed for the existing post. The next date of increment shall remain unchanged.

2**. Risk Allowance.-**Officer/Official of the Rajasthan Police Service and the Rajasthan Police Subordinate Service appointed to the Squad shall be paid special risk allowance at the rate of 12% of the basic pay drawn in the Pay Level in the Pay Matrix under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 during their tenure in the Squad:

Provided that the risk allowance shall also be paid to any officer having special or technical qualifications required for the job from any department of the Government of India or of the State who is appointed to the Squad on deputation in accordance with the proviso to rule 8."

[No. F. 5(1) DOP/A-II/2011]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.